रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



HRE Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 534] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 8, 2007/वैशाख 18, 1929 No. 534] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 8, 2007/VAISAKHA 18, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2007

का.आ. 726(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

उक्त राजमार्ग, जिसमें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, उक्त सारणी में उपदर्शित उनके क्रम सं. राष्ट्रीय राजमार्ग सं. और विवरण सहित उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट समझा जाएगा ।

सारणी

क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	. (3)
13ककग	[]ग	2.20 कि.मी. से 273.50 कि.मी. तक जयपुर से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 का पुराना सरेखण ।

[फा. सं. एनएच-14019/10/2006-पी एंड एम]

े रेनुका जैन गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2007

S.O. 726(E).—In exercise of the powers conferred by the Sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares the highway specified in columns (2) and (3) of the Table below to be National Highway.

(1)

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

The said highway, now declared to be the National Highway, shall be deemed to the specified in the schedule to the said Act with the serial number, the National Highway number and the description thereof indicated in the said Table.

Sl. No.	National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
13AAC	11C	Old alignment of National Highway No. 8 passing through Jaipur from Km. 220 to Km. 273.50.

[F. No. NH-14019/10/2006-P&M]

RENUKA JAIN GUPTA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2007

का.आ, 727(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) तारीख 4 अगस्त, 2005 का और संशोधन करती है, अर्थातु :--

्र उक्त अधिसूचना की अनुसूची के क्रम सं. 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन	राज्य सरकार का नाम
(1)	(2)	(3)
"21	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 [किशनगढ़ से अजमेर (366 कि.मी. से 396 कि.मी. तक को छोड़कर) और अजमेर से उदयपुर (0 कि.मी. से 263.500 कि.मी. तक को छोड़कर)]; 11 [42.525 कि.मी. से 288.000 कि.मी. तक (उ.प्र./राजस्थान सीमा-भरतपुर-महुआ- जयपुर) को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11क, सं. 11ख, सं. 11ग, सं. 12, सं. 14 [246.800 कि.मी. से 306.000 कि.मी. (पिंडवाड़ा-राजस्थान/गुजरात सीमा सेक्शन) को छोड़कर], सं. 15, सं. 65, सं. 79 (नसीराबाद से चित्तौड़गढ़ सेक्शन को छोड़कर) और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 89, सं. 90, सं. 112 से सं. 113 जो राजस्थान राज्य में स्थित हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 114 और 116 ।	राजस्थान राज्य सरकार ।'';

[फा. सं. एनएच-14019/10/2006-पी एंड एम]

रेनुका जैन गुप्ता, निदेशक

पाद टिप्प्पा :--मूल अधिसूचना, भारत सरकार के राजपंत्र में सं. का.आ. 1096(अ) तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संबोधित किए गए थे :--

1. सं. का.आ. 1398(अ) तारीख 27 सितम्बर, 2005,

2. सं. का.आ. 1584(अ) तारीख 10 नवम्बर, 2005,

3. सं. का.आ. 465(अ) तारीख 30 मार्च, 2006,

4. सं. का.आ. 1891(अ) तारीख 2 नवम्बर, 2006,

5. सं. का.आ. 96(अ) तारीख 31 जनवरी, 2007.

TABLE

[भाग II— खण्ड 3(ii)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2007

S.O. 727(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, number S.O. 1096(E) dated the 4th August, 2005 namely :—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 21 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :---

Sl. No.	Description of National Highway	Name of the State Government	
(1)	(2)	(3)	
"21	So much of National Highways No. 8 [Kishangarh to Ajmer (excluding from Km. 366 to Km. 396) and Ajmer to Udaipur (excluding from Km. 0 to Km. 263.500)], No. 11 [excluding from Km. 42.525 to Km. 228.000 (UP/ Rajasthan Border-Bharatpur-Mahua-Jaipur)], National Highway No. 11A, No. 11B, No. 11C, No. 12, No. 14, [excluding from Km. 246.800 to Km. 306.000 (Pindwara-Rajasthan/Gujarat Border Section)], No. 15, No. 65, No. 79 (excluding from Section Nasirabad to Chittorgarh) and National Highway No. 89, No. 90, No. 112, No. 113 as are situated within the State of Rajasthan and National Highways Nos. 114 and 116.	State Government of Rajasthan.";	

TABLE

[F. No. NH-14019/10/2006-P&M]

RENUKA JAIN GUPTA, Director

Foot Note :- The Principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and subsequently amended vide :--

1. No. S.O. 1398(E), dated the 27th September, 2005,

2. No. S.O. 1584(E), dated the 10th November, 2005,

3. No. S.O. 465(E), dated the 30th March, 2006,

4. No. S.O. 1891(E), dated the 2nd November, 2006,

5. No. S.O. 96(E), dated the 31st January, 2007.

3